रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 2012/चैत्र 21, 1934
No. 82] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2012/CHAITRA 21, 1934

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2012

फा. सं. एस-प्रशा/II/XI/2012.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 (2006 का अधिनियम 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण**

   (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (परामर्शदाता की नियुक्ति) संशोधन अधिनियम, 2012 कहा जाएगा ।

   (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (परामर्शदाता की नियुक्ति) विनियम 2007 में—

   (क) विनियम 14 और 15 को हटाया जाएगा;

   (ख) विनियम 16, 17 और 18 की संख्या को 14, 15 और 16 लिखा जाएगा और विनियम 16 के बाद संख्या दोबारा लिखते हुए उसमें निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

"17. **व्यक्तिगत परामर्शदाताओं के चयन की प्रक्रिया**

(1) नियुक्ति.—बोर्ड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित वित्त, अर्थव्यवस्था, विधि, इंजीनियरिंग, प्रशासन, संभार-तंत्र, व्यवसाय या ऐसे अन्य विषयों के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तिगत परामर्शदाता की नियुक्ति कर सकता है जैसा वह उचित समझता हो ।

(2) कार्य.—बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्तिगत परामर्शदाता ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि बोर्ड को सहायता देने में अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए हों ।

(3) **योग्यताएं, अनुभव और वर्गीकरण** - नियुक्त व्यक्तिगत परामर्शदाता को अनुसूची-1 में दिए गए अनुसार संबंधित वर्ग में उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा:

बशर्ते कि बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन में बोर्ड को सहायता देने के लिए, जैसा आवश्यक समझे, किसी अन्य विषय के व्यक्तिगत परामर्शदाता को भी नियुक्त कर सकता है।

(ख) पैरा (क) के अधीन और संबंधित विषयों में योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर व्यक्तिगत परामर्शदाता को अनुसूची-II में दिए गए अनुसार पांच स्तरों में वर्गीकृत किया जाएगा:

बशर्ते कि दस वर्ष से अधिक के अनुभव वाले कार्यालय सहायता/संभार-तंत्र की श्रेणी वाले परामर्शदाताओं को स्तर-III माना जाएगा और उनके लिए स्तर-IV और स्तर-V नहीं होगा।

(4) **ग्राह्य पारिश्रमिक** - व्यक्तिगत परामर्शदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला पारिश्रमिक व्यावसायिक विशेषज्ञों की अनुसूची-III के अनुसार होगा।

बशर्ते कि बोर्ड लिखित में दर्ज किए गए कारणों के आधार पर अनुसूची-III में दिए गए पारिश्रमिक से अधिक का भुगतान करने पर या विशेष रूप से योग्य मामलों में अंशकालिक नियुक्ति के लिए अनुसूची-III में दिए गए स्तरों से लिए गए प्रतिदिन के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान करने पर सहमत हो।

(5) **निष्पादन का मूल्यांकन** - इन विनियमों में नियुक्त प्रत्येक व्यक्तिगत परामर्शदाता के निष्पादन की उसे सौंपे गए कार्यों और किए गए कार्यों के संदर्भ में समय-समय पर ऐसे समय और ढंग से समीक्षा की जाएगी, जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(6) **चयन की प्रक्रिया** – (क) व्यक्तिगत परामर्शदाता को बोर्ड द्वारा सामान्यत: संविदागत आधार पर नियुक्त किया जाएगा जिसकी अवधि तीन माह से कम और तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख) बोर्ड नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तिगत परामर्शदाताओं की संख्या पर समय-समय पर निर्णय लेगा।

(ग) पैरा (ख) में उल्लिखित अनुसार नियुक्ति की संख्या के बारे में निर्णय लेने के बाद सचिव द्वारा बोर्ड की सरकारी वेबसाइट पर नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाताओं की संख्या सहित उनकी योग्यता, अपेक्षित अनुभव, ग्राह्य पारिश्रमिक का ब्योरा प्रकाशित किया जाएगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा व्यक्तिगत परामर्शदाता के स्तर पर प्रत्येक श्रेणी और स्तर हेतु आवेदन की प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तारीख दर्शाते हुए व्यक्तिगत परामर्शदाता का स्तर दर्शाया जाएगा।

बशर्ते कि सचिव प्रत्येक श्रेणी और स्तर के उपयुक्त सार्वजनिक नोटिस द्वारा भी आवेदन आमंत्रित कर सकता है;

आगे बशर्ते यह कि -

(i) बोर्ड कैम्पस साक्षात्कार के माध्यम से स्तर-I में व्यक्तिगत परामर्शदाताओं का चयन कर सकता है।

(ii) बोर्ड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) संशोधन अधिनियम, 2012 की अधिसूचना से पूर्व निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरे बिना उक्त संशोधन विनियमों के निबंधन एवं शर्तों का विकल्प चुनने के लिए बोर्ड में पहले से कार्य कर रहे मौजूदा व्यक्तिगत परामर्शदाताओं/सहायक परामर्शदाताओं को विकल्प दे सकता है;

(iii) बोर्ड द्वारा चयनित व्यक्तिगत परामर्शदाता बाद में विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए दोबारा आवेदन दे सकता है;

(घ) अध्यक्ष व्यक्तिगत परामर्शदाता की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक चयन समिति का गठन करेगा। बोर्ड चयन समितियों में संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले प्रसिद्ध विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है।

(ङ) सचिव इन विनियमों के अनुसार आवेदनों की छंटाई करेगा और साक्षात्कार के लिए आमंत्रित की जाने वाली प्रत्येक श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा।

(च) अध्यक्ष के अनुमोदन से पैरा (घ) में उल्लिखित चयन समितियों की बैठक, प्रत्येक श्रेणी के लिए बुलाई जाएगी या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी अग्रिम में पर्याप्त रूप से चुने गए पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार की तारीख और स्थान को अधिसूचित करेगा।

(छ) प्रत्येक श्रेणी में नियुक्ति के संबंध में प्रत्येक चयन समिति की सिफारिशों को सचिव द्वारा अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात निर्णय हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ज) पैरा (छ) में उल्लिखित अनुसार बोर्ड द्वारा नियुक्ति का अनुमोदन किए जाने पर सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार को नियुक्ति प्रस्ताव की सूचना देगा और उसे नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कम से कम चौदह दिनों का समय देगा।

(झ) पैरा (ज) के अनुसार चयनित उम्मीदवारों से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करेगा जिसमें कार्यभार ग्रहण करने के लिए कम से कम तीन दिनों का समय दिया जाएगा;

अध्यक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की समय अवधि को बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि मांगी गई विस्तार अवधि की परिस्थितियां व्यक्तिगत उम्मीदवार के नियंत्रण से परे हों।

(ञ) सचिव बोर्ड की अगली बैठक में कार्यभार ग्रहण करने वाले चयनित उम्मीदवारों की संख्या सूचित करेगा और पैरा (ख) के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तिगत परामर्शदाताओं की कुल संख्या में कमियां, यदि कोई हों, को पूरा करने के लिए चयन प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने के लिए बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(7) **नियुक्ति की निबंधन और शर्तें** - (क) व्यक्तिगत परामर्शदाता द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर उसे कोई कार्य सौंपने से पहले बोर्ड की ओर से सचिव के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जाएगा, जिसमें गोपनीयाता की शर्त, निबंधन और शर्तों का विस्तृत ब्यौरा शामिल होगा।

(ख) नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों में किसी विशिष्ट मामले में, जहां बोर्ड आवश्यक समझता हो, संशोधन कर सकता है।

(ग) बिना किसी पूर्वाग्रह के और बोर्ड को उपलब्ध कानूनी सुधार करने के अधिकार के अलावा पैरा (क) के अंतर्गत निष्पादित करार को किसी व्यक्तिगत परामर्शदाता द्वारा या उनकी ओर से भंग करने पर अनुबंध के अंतर्गत की गई नियुक्ति को रद्द करने का पर्याप्त आधार माना जाएगा और बोर्ड द्वारा ऐसे व्यक्तिगत परामर्शदाता को किसी भावी नियुक्ति के लिए वंचित किया जा सकता है।

(घ) चयनित व्यक्तिगत परामर्शदाता छः माह की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। परिवीक्षा अवधि के दौरान उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर व्यक्तिगत परामर्शदाता की नियुक्ति की बोर्ड द्वारा शेष अवधि के लिए पुष्टि की जाएगी।

(ङ.) यदि चयनित व्यक्तिगत परामर्शदाता परामर्शी सेवाएं देने से हटना चाहता है तो वह ऐसा तीन महीने का नोटिस देकर कर सकता है। तथापि, बोर्ड को भी तीन महीने का समान नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए परामर्शी अवधि को रद्द करने या उसमें कटौती करने का अधिकार होगा।"

(ग) विनियम, 19, 20 और 21 की संख्या को क्रमशः 18, 19 और 20 लिखा जाएगा और उसके बाद निम्नलिखित अनुसूचियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

अनुसूची-I

व्यक्तिगत परामर्शदाता की श्रेणी	योग्यता	अनुभव
वाणिज्यिक	एमबीए (वित्त) चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत लेखाकार या किसी मान्यताप्राप्त विश्विद्यालय या संस्थान से अर्थव्यवस्था/वाणिज्य/प्रचालन अनुसंधान या समकक्ष में स्नातकोत्तर उपाधि	(क) विनियमों का विकास/निर्माण करने का अनुभव; या (ख) तेल और गैस क्षेत्र से संबंधित पाइपलाइन परिवहन प्रशुल्क की गणना करने, मूल्य निर्धारण और अन्य संबंधित वाणिज्यिक और वित्तीय मुद्दे; या

1295 GI/12-2

		(ग) फर्मों के वार्षिक लेखाओं, बड़ी परियोजनाओं के लिए ऋण मूल्यांकन, जैसा कि बैंकों/वित्तीय संस्थानाओं द्वारा किया जाता है, का विस्तृत विश्लेषण करना; या (घ) तेल और गैस उत्पादन, प्रोसेसिंग, परिवहन, भण्डारण, टर्मिनल प्रचालन, वितरण, विपणन आदि के क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं के मूल्यांकन का अनुभव। <u>वांछनीय:</u> (i) प्रतिस्पर्धा नियम में पिछला कोई अनुभव। (ii) कंपनी सचिव संस्थान की सदस्यता।
विधि	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/विधि स्कूल से विधि डिग्री।	आधारभूत ढांचा क्षेत्र में अनुभव: (क) विनियम सांविधिक और/या विधि का प्रारूप बनाना/संवीक्षा करना, या (ख) न्यायालय/अपीलीय अधिकरण मामले निपटाना; या (ग) विवाद/मध्यस्थता का निपटान करना। <u>वांछनीय:</u> प्रतिस्पर्धा कानून में पिछला कोई अनुभव; या
आधारभूत ढांचा	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या संस्थान से विज्ञान/अर्थव्यवस्था/प्रचालन, अनुसंधान या समकक्ष में स्नातकोत्तर डिग्री।	*(क)* तेल और गैस पाइपलाइनों के क्षेत्र में भण्डारण क्षमताओं, विपणन आधारभूत ढांचा, नगर गैस वितरण आदि बड़ी निवेश वाली परियोजना में प्रौद्यो-आर्थिक परियोजना मूल्यांकन/आकलन/चयन का अनुभव; या *(ख)* तेल और गैस क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास सहित विनियमों

		या औपचारिकता के विकास/निर्माण का अनुभव; या *(ग)* नगर गैस वितरण नेटवर्क, उसके प्रचालन और रखरखाव की स्थापना करने का अनुभव; या *(घ)* तेल और गैस पाइपलाइनों के प्रचालन और रखरखाव में अनुभव; या *(ङ)* तेल और गैस पाइपलाइनों और स्थापनाओं से संबंधित तकनीकी मानकों/सुरक्षा संहिताओं का प्रारूप बनाने का अनुभव। <u>वांछनीय:</u> प्रतिस्पर्धा कानून में पिछला कोई अनुभव।
वितरण	इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, विपणन में एमबीए, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान/अर्थव्यवस्था/प्रचालन अनुसंधान या समकक्ष में स्नातकोत्तर डिग्री।	(क) पेट्रोलियम उत्पादों/प्राकृतिक गैस के विपणन और वितरण में सरकार में नीति निर्माण का अनुभव; या (ख) तेल और गैस क्षेत्र में विनियमों के विकास/निर्माण का अनुभव; या (ग) तेल और गैस के विपणन में नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास की जानकारी; या (घ) आधारभूत ढांचे में उपभोक्ता हित को बढ़ावा देने का अनुभव। <u>वांछनीय</u> प्रतिस्पर्धा कानून का पिछला कोई अनुभव।
कार्यालय/संभार-तंत्र सहायता	सतत् उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड सहित भारत में विधिवत किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।	*(क)* आधारभूत क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर के पद पर कार्य किया हो; या *(ख)* लेखे के प्रकाशन या अवार्ड या सार्वजनिक ख्याति के माध्यम से संगत क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ के रूप में मान्यता हो; या *(ग)* किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/भारत या विदेश के किसी ख्यातिप्राप्त संस्थान के व्यवसाय प्रबंधन के प्रोफेसर/रीडर/व्याख्याता रहे हों; या

		(घ) क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण के लिए स्रोतों का पता लगाने में अनुभव सहित मानव संसाधन (एचआर) व्यावसायिकता। वांछनीय: प्रतिस्पर्धा कानून में पिछला कोई अनुभव।

अनुसूची II

व्यक्तिगत परामर्शदाता की श्रेणी	अधिमानित वर्षों में अनुभव
स्तर-I	पांच वर्ष तक
स्तर-II	पांच से अधिक दस वर्ष तक
स्तर-III	दस से अधिक पंद्रह वर्ष तक
स्तर-IV	पंद्रह से अधिक बीस वर्ष तक
स्तर-V	बीस से अधिक पच्चीस वर्ष तक

अनुसूची III

व्यक्तिगत परामर्शदाता की श्रेणी का स्तर	एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक
I	प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 10 प्रतिशत वृद्धि सहित 26,000 रुपए
II	प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 10 प्रतिशत वृद्धि सहित 50,000 रुपए
III	प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 10 प्रतिशत वृद्धि सहित 75,000 रुपए
IV	प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 10 प्रतिशत वृद्धि सहित 1,00,000 रुपए
V	प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 10 प्रतिशत वृद्धि सहित 1,25,000 रुपए

रतन पी. वातल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/188/12]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 30 नवम्बर, 2007 के सा.का.नि. 36(अ) द्वारा अधिसूचित किए गए थे ।

THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2012

F. No. S-Admn/II/XI/2012.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (Act 19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely: –

1. **Short title and commencement.–**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Appointment of Consultants) Amendment Regulations, 2012.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas (Appointment of Consultants) Regulations, 2007,-

(a) regulations 14 and 15 shall be omitted;

(b) regulations 16, 17 and 18 shall be re-numbered as 14, 15 and 16 and after regulation 16 as so re-numbered, the following shall be inserted, namely:-

"17. Procedure for selection of individual Consultants.

(1) **Engagement.** – The Board may engage such number of individual consultants in the fields of finance, economics, law, engineering, administration, logistics, business or such other disciplines related to the petroleum and natural gas sector as it may deem fit.

1295 GI/12–3

(2) **Functions.** – The individual consultants engaged by the Board shall discharge such functions as directed by the Chairperson in assisting the Board.

(3) **Qualifications, experience and classification.** – (a) The individual consultants to be engaged shall be classified on the basis of their qualifications and experience in the respective class as given in Schedule-I:

Provided that the Board may also engage individual consultants from any other discipline as deemed necessary to assist the Board in the discharge of its functions under the Act.

(b) Subject to para (a) and depending upon the qualification, specialization and experience in respective disciplines, the individual consultants shall be categorized into five levels as given in Schedule II:

Provided that consultants of the category of office support/logistics with more than ten years experience shall all be treated as of Level III and thus there shall not be Level IV and Level V for them.

(4) **Remuneration payable.** – The remuneration to be paid by the Board to different categories of individual consultants shall be in accordance with Schedule III for professional specialists:

Provided that the Board may, for reasons to be recorded in writing, agree to pay higher remuneration than those given in Schedule III or agree to pay remuneration on a per-diem basis derived from the levels given in Schedule III for part-time engagement in specially deserving cases.

(5) **Evaluation of performance.**– The performance of each individual consultant engaged under these regulations, with reference to the tasks assigned and output delivered, shall be reviewed

periodically, within such time and manner, as may be specified by the Board.

(6) **Procedure of selection.** – (a) The individual consultants shall ordinarily be engaged by the Board on contractual basis for not less than three months and not more than three years.

(b) The Board may decide, from time to time, the number of the individual consultants to be engaged.

(c) After the number to be engaged is decided, as mentioned in para (b), the Secretary shall publish the number to be engaged with details of qualifications, experience needed and the remuneration payable on the official website of the Board and invite applications for each category and level of individual consultant giving a stipulated last date for the receipt of the applications for each category and level:

Provided that the Secretary may also invite the applications by suitable public notice for each category and level:

Provided further that -

(i) the Board may select individual consultants in Level I through campus interview;

(ii) the Board may give option to the existing individual consultants/assistant consultants already working in the Board before the notification of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Appointment of Consultants) Amendment Regulations, 2012 to opt for the remuneration payable and the terms and conditions as per the provisions after the commencement of the said amendment regulations without going through the selection process prescribed;

(iii) the individual consultants selected by the Board may re-apply against subsequent positions advertised or notified;

(d) The Chairperson shall constitute a selection committee for each category of individual consultant. The Board may invite eminent experts having special knowledge and experience in the relevant field to join the selection committees.

(e) The Secretary shall scrutinize the applications in accordance with these regulations and prepare lists of eligible candidates for each category to be called for interview.

(f) The selection committees mentioned in para (d) shall be convened with the approval of the Chairperson for each category and the Secretary or any other officer authorised by the Chairperson shall notify the date and the venue of the interview to the short listed eligible candidates sufficiently in advance.

(g) The recommendations of each selection committee regarding engagement for each category shall be placed by the Secretary for Chairperson's perusal and thereafter placed before the Board for a decision.

(h) On approval of the engagements by the Board as mentioned in para (g), the Secretary or any other officer authorized by the Chairperson shall inform each candidate in writing by an offer letter of engagement giving not less than fourteen days time to accept the offer of engagement.

(i) After receipt of acceptance from the selected candidates as per para (h), the Secretary or any other officer authorised by the Chairperson shall issue letter of engagement to each candidate giving not less than thirty days time to join:

Provided that the joining time may be extended by the Chairperson on being satisfied that extension is sought on circumstances beyond the control of the individual candidate.

(j) The Secretary shall inform the number of selected candidates who have joined in the next meeting of the Board and obtain approval of the Board to restart the process of selection to fill up the shortfalls, if any, in the total number of individual consultants decided to be engaged as per para (b).

(7) **Terms and conditions of engagement.** – (a) The individual consultant, on having accepted the offer of engagement, shall enter into a contract, also having the confidentiality clause, with the Secretary, acting on behalf of the Board, detailing the terms and conditions of engagement before being assigned any work.

(b) The terms and conditions of engagement may be modified, in a specific case, where the Board deems it necessary.

(c) Without prejudice and in addition to the legal remedies available to the Board, the breach of agreement executed under para (a) by or on behalf of any individual consultant shall be considered a sufficient ground for termination of the engagement made under contract and may further debar such individual consultant from future engagement by the Board.

(d) The selected individual consultants shall be on probation for a period of six months. Based on their performance during the probation period, the appointment of the individual consultant may be confirmed by the Board for the balance period.

(e) In case the selected individual consultants desire to withdraw from the consultancy services, they may do so by giving three months notice. However, the Board reserves the right to terminate or curtail the consultancy period without assigning any reason by giving similar notice of three months.";

(c) Regulations 19, 20 and 21 shall be re-numbered as 18, 19 and 20 respectively and after which the following Schedules shall be inserted, namely:-

Schedule I

Class of Individual Consultant	Qualifications	Experience
Commercial	MBA (Finance), Chartered Accountant, Cost Accountant or Masters degree in Economics/Commerce/Operations Research or equivalent from a recognized university or institution	(a) Experience in development/ formulation of regulations; or (b) Computation of pipeline transportation tariffs, pricing and other concerned commercial and financial issues related to the oil and gas sector; or (c) Detailed analysis of annual accounts of firms, loan appraisals for large projects as done by the banks/financial institutions; or (d) Experience of appraisal of large projects in the fields of oil and gas production, processing, transportation, storage, terminal operation, distribution, marketing, etc. Desirable: (i) Previous exposure to Competition Law (ii) Membership of Institute of Company Secretaries
Law	Law Degree from recognized University / Law School	Experience in infrastructure sector on: *(a)* Drafting/vetting regulations, statutes and/or legislations; or *(b)* dealing with Courts/Appellate Tribunals matters; or *(c)* Settling disputes/arbitration Desirable: Previous exposure to Competition Law
Infrastructure	Graduate Degree in Engineering/ Masters degree in Science/ Economics/Operations Research or equivalent from a recognized university or institution	*(a)* Experience of techno-economic project appraisal/evaluation/choice of project involving large investments in the field of oil and gas pipelines, storage capacities, marketing infrastructure/ city gas distribution etc.; or

		(b) Experience in development/ formulation of regulations or familiarity with latest technological developments in the oil and gas sector; or *(c)* Experience in setting up of city gas distribution network, its operation and maintenance; or *(d)* Experience in operation and maintenance of oil and gas pipelines; or *(e)* Experience in drafting of technical standards/safety codes pertaining to oil and gas pipelines and installations. Desirable: Previous exposure to Competition Law
Distribution	Graduate Degree in Engineering, MBA in marketing, Masters degree in Science/ Economics/ Operations Research or equivalent from a recognized university or institution.	*(a)* Experience in policy formulation in the Government in the marketing and distribution of petroleum products/natural gas; or *(b)* Experience in development/ formulation of regulations in the oil and gas sector; or *(c)* Familiarity with latest technological developments in the marketing of oil and gas; or *(d)* Experience in fostering consumer interest in infrastructure. Desirable: Previous exposure to Competition Law
Office/ Logistic Support	Graduate degree from a duly recognized University in India with consistent excellent academic record	Office Secretary/Personal Staff with experience in MS Office and other internet applications, preparation of power point presentations

1295 GI/12-5

Any other sector	Graduate degree from a duly recognized University in India in the relevant field with consistent excellent academic record	(a) Of having worked at senior level position in the infrastructure sector ; or (b) Recognition as an expert in the relevant sector either through publication of articles or awards or public acclaim; or (c) Professor/Reader/Lecturer of Business Management of any recognized University/Professional Institute of India or abroad; or (d) HR professionals with experience in identifying sources for capacity building/training. Desirable: Previous exposure to Competition Law

Schedule II

Category of Individual Consultant	Preferred experience in years
Level I	Upto five years
Level II	More than five to ten years
Level III	More than ten to fifteen years
Level IV	More than fifteen to twenty years
Level V	More than twenty years

Schedule III

Level of Individual Consultant	Lump sum monthly remuneration
I	Rs. 26,000 with 10 per-cent increase on completion of each year
II	Rs. 50,000 with 10 per-cent increase on completion of each year,
III	Rs. 75,000 with 10 per-cent increase on completion of each year.

IV	Rs. 1,00,000 with 10 per-cent increase on completion of each year.
V	Rs. 1,25,000 with 10 per-cent increase on completion of each year.

RATAN P. WATAL, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./188/12]

Foot Note : Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 36(E) dated 30th November, 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.